डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र एम. पी. सी. 49

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 मार्च 1976--फाल्गुन 25, शके 1897.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १५ मार्च १९७६

क्र. ६२१७-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक १५ मार्च १९७६ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दि. मा. आगवण, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् १९७६

# मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६

धाराएं:

## विषय-सूची


### पहला अध्याय--प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.
२. परिभाषाएं.

### दूसरा अध्याय—राज्य होमियोपैथी परिषद् का गठन

३. राज्य होमियोपैथी परिषद् का गठन.
४. निर्वाचन का ढंग.
५. परिषद् की सदस्यता के लिये निरर्हतायें.
६. परिषद् का निगमन.
७. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.
८. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.
९. कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियां.
१०. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य.

### तीसरा अध्याय--परिषद् तथा उसकी समितियों के कामकाज का संचालन

११. परिषद् के सम्मिलन.
१२. गणपूर्ति.
१३. समितियों के सम्मिलन.
१४. परिषद् तथा उसकी समितियों में होने वाली रिक्तियों से कार्यों, आदि का अविधिवत् न होना.
१५. सदस्यों के लिये पारिश्रमिक का प्रतिषेध.

### चौथा अध्याय--परिषद निधि, बजट तथा संपरीक्षा

१६. परिषद् निधि का गठन.
१७. लेखे तथा संपरीक्षा.
१८. बजट.

### पांचवां अध्याय--परिषद् का रजिस्ट्रार तथा उसके अन्य कर्मचारी

१९. रजिस्ट्रार.
२०. परिषद् के अन्य कर्मचारी.

धाराएं :

## छठवां अध्याय—रजिस्ट्रीकरण

२१. होमियोपैथी का राज्य रजिस्टर.
२२. रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार व्यक्ति.
२३. रजिस्टर में अतिरिक्त अर्हता की प्रविष्टि.
२४. चिकित्सीय व्यवसाय के लिये अस्थायी रजिस्ट्रीकरण
२५. रजिस्टर से नाम का हटाया जाना.
२६. राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट किये गये नामों का प्रकाशन

## सातवां अध्याय—रजिस्ट्रीकृत व्यवसाइयों के विशेषाधिकार

२७. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार.
२८. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न किये गये व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय, आदि करने का प्रतिषेध.
२९. उपाधि या उपाधि-पत्र का मिथ्या ग्रहण अपराध होगा.
३०. उपाधि, उपाधि-पत्र, आदि के अप्राधिकृत रूप से प्रदान किये जाने का प्रतिषेध.
३१. फीस का वापस न किया जाना.

## आठवां अध्याय—होमियोपैथी की शिक्षा, परीक्षाओं का संचालन, अध्ययन-पाठ्यक्रम तथा संस्थाओं को मान्यता

३२. परिषद् द्वारा ली जाने वाली परीक्षायें तथा अध्ययन-पाठ्यक्रम और होमियोपैथी में गवेषणा.
३३. संस्थाओं को मान्यता.
३४. स्तर को बनाये रखना.
३५. परिदर्शकों, निरीक्षकों तथा परिदर्शक समितियों की नियुक्ति.
३६. मान्यता का प्रत्याहरण.
३७. छात्रवृत्ति, वृत्तिकाएं तथा पारितोषिक.
३८. दीक्षान्त समारोह का किया जाना, सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना.
३९. पाठ्य-पुस्तकों, आदि का प्रकाशन.

## नवां अध्याय—नियंत्रण

४०. राज्य सरकार का नियंत्रण.
४१. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जानकारी प्रस्तुत करेंगे.
४२. परिषद् के आदेश, आदि के निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति.

## दसवां अध्याय—प्रकीर्ण

४३. दस्तावेज पेश करने के लिये परिषद् के सेवकों को समन करने पर निर्बन्धन.
४४. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का परित्राण.
४५. परिषद् का रजिस्ट्रार तथा अन्य सेवक लोक सेवक होंगे.
४६. अपराधों का संज्ञान.
४७. असेसर की नियुक्ति.
४८. अपीलें.

धाराएं:

४९. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.
५०. शास्ति.

## ग्यारहवां अध्याय—नियम तथा विनियम

५१. नियम बनाने की शक्ति.
५२. विनियम बनाने की शक्ति.

## बारहवां अध्याय—व्यावृत्ति

५३. व्यावृत्ति.

## तेरहवां अध्याय—अस्थायी उपबंध

५४. अस्थायी उपबंध.
५५. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
५६. निरसन.

अनुसूची.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् १९७६.

# मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम १९७६

[दिनांक १५ मार्च १९७६ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्य प्रदेशराजपत्र" (असाधारण) में दिनांक १५ मार्च १९७६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई].

राज्य होमियोपैथी परिषद् के गठन के लिये उपबन्ध करने तथा राज्य में होमियोपैथी के व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण विनियमित करने के लिये एवं उससे संबंधित विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## पहला अध्याय—प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, १९७६ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

परिभाषायें.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुमोदित संस्था" से अभिप्रेत है चिकित्सालय, स्वास्थ्य-केन्द्र या ऐसी अन्य संस्था जिसमें कोई व्यक्ति, उसे होमियोपैथी में चिकित्सीय अर्हता प्रदान की जाने के पूर्व अपने अध्ययन-पाठ्यक्रम द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके;

(ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित राज्य होमियोपैथी परिषद्;

(ग) "सूचीबद्ध व्यवसायी" से अभिप्रेत है होमियोपैथी का ऐसा व्यवसायी जिसका नाम निरसित एक्ट के अधीन बनाये रखी गई सूची में प्रविष्ट है;

(घ) "होमियोपैथी" से अभिप्रेत है डाक्टर एस. हेनोमैन द्वारा प्रतिष्ठापित चिकित्सा पद्धति और उसके अन्तर्गत आती है डाक्टर शुचलर की बायोकेमिक उपचार पद्धति, चाहे ऐसी आधुनिक प्रगतियों द्वारा, जैसी कि परिषद् समय-समय पर अवधारित करे, उसकी अनुपूर्ति की गई हो या न की गई हो, और अभिव्यक्ति "होमियोपैथिक" का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा,

(ङ) "चिकित्सीय संस्था" से अभिप्रेत है राज्य के भीतर या बाहर स्थित कोई ऐसी संस्था जो होमियोपैथी में उपाधियां, उपाधि-पत्र या अनुज्ञप्तियां प्रदान करती हो;

(च) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है धारा ३३ के अधीन मान्यता प्राप्त संस्था;

(छ) "मान्य अर्हता" से अभिप्रेत है अनुसूची में सम्मिलित की गई होमियोपैथी संबंधी चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी चिकित्सीय अर्हता;

(ज) "रजिस्टर" से अभिप्रेत है धारा २१ के अधीन रखा गया रजिस्टर;

(झ) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट हो;

(ञ) "विनियम" से अभिप्रेत है धारा ५२ के अधीन बनाया गया विनियम;

(ट) "निरसित एक्ट" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश होमियोपैथिक एन्ड बायोकैमिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट, १९५१ (क्रमांक २६ सन् १९५१);

(ठ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है भारत में स्थित कोई भी विश्वविद्यालय जो विधि द्वारा स्थापित किया गया हो तथा जिसमें होमियोपैथी का संकाय हो और उसके अन्तर्गत आता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किया गया ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें होमियोपैथी में शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण या गवेषणा के लिये प्रबन्ध किया गया हो.

## दूसरा अध्याय—राज्य होमियोपैथी परिषद् का गठन

राज्य होमियोपैथी परिषद् का गठन.

३. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, एक राज्य होमियोपैथी परिषद् का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्य के प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जो उस संभाग में होमियोपैथी के व्यवसायी के रूप में रजिस्टर में दर्ज किये गये व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा;

(ख) एक सदस्य जो निम्नलिखित में से प्रत्येक में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा,—

(एक) राज्य के मान्यता प्राप्त होमियोपैथी महाविद्यालयों के प्राचार्य;

(दो) राज्य के मान्यता प्राप्त होमियोपैथी महाविद्यालयों के अध्यापक;

(तीन) राज्य चिकित्सीय सेवा के वे सदस्य जो होमियोपैथी का व्यवसाय करते हों;

(ग) पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे अर्थात् दो सदस्य उन व्यक्तियों में से होंगे जिन्हें होमियोपैथी के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो तथा तीन सदस्य उन व्यक्तियों में से होंगे जिन्हें अन्य संबद्ध चिकित्सीय पद्धतियों (रिलेटेड मेडिकल डिसिप्लीन) में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो;

(घ) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् का एक सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;

(ङ) उपसंचालक, होमियोपैथी, मध्यप्रदेश :

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन के लिये, खण्ड (क) के अधीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नामनिर्देशित किये जायेंगे जो कि उस रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये उक्त खण्ड (क) के अधीन अर्हित हों :

परन्तु यह और भी कि यदि प्रथम परिषद् किसी कारण से, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को गठित न हो पाये या उसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सकता हो, तो राज्य सरकार, छः माह से अनधिक कालावधि के लिये किसी व्यक्ति को परिषद् के भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया भारसाधक अधिकारी, राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन परिषद् की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा और वह अपनी सेवाओं के लिये ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायं, परिषद् निधि से प्राप्त करेगा :

परन्तु यह भी कि यदि परिषद् पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित हो जाये, तो भारसाधक अधिकारी नवीन रूप से गठित परिषद् के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये नियम की गई तारीख से अपने पद पर नहीं रहेगा.

(२) परिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति में निर्वाचित किये जायेंगे जैसी कि विहित की जाय :

परन्तु परिषद् के प्रथम गठन के लिये, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का नामनिर्देशन, राज्य सरकार द्वारा, प्रथम परिषद् के सदस्यों में से किया जायेगा.

**निर्वाचन का ढंग.**

४. (१) धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन का संचालन राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जायेगा जो कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये जायं.

(२) जहां परिषद् के लिये किसी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहां वह राज्य सरकार को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा.

**परिषद् की सदस्यता के लिये निरर्हताएं.**

५. (१) कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने तथा उसक सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा:—

(क) यदि वह न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें कि नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(ख) यदि वह विकृत चित्त का हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित कर दिया गया हो ;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(घ) यदि वह परिषद् का पूर्णकालिक कर्मचारी हो ;

(ङ) यदि उसकी आयु २५ वर्ष से कम हो;

(च) यदि वह परिषद्, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी का पदच्युत कर्मचारी हो,

(छ) यदि वह परिषद् के साथ, परिषद् द्वारा या परिषद् की ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हित रखता हो.

(२) कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, सदस्य के रूप में एक से अधिक हैसियत में सेवा नहीं कर सकेगा.

(३) धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के अन्तर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति, उक्त धारा की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित किये जाने के लिये पात्र नहीं होगा.

**परिषद् का निगमन.**

६. परिषद्, राज्य होमियोपैथी परिषद्, मध्यप्रदेश, के नाम से एक निगमित निकाय होगी, उसका शास्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह उक्त नाम से वाद चलायेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जायेगा.

**परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.**

७. (१) परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य यथास्थिति अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या उसके उत्तराधिकारी का सम्यक् रूप से निर्वाचन या नाम-निर्देशन होने तक, इनमें से जो भी अवधि दीर्घतर हो, पद धारण करेगा.

(२) कोई भी व्यक्ति, जो परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद लगातार दो कालावधियों के लिये धारण करता हो, उस पद पर पुनः निर्वाचित किया जाने के लिये पात्र नहीं होगा.

(३) परिषद् के सदस्य पुनःनिर्वाचित किये जाने या पुनःनामनिर्देशन के लिये पात्र होंगे.

(४) किसी भी निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है—

(क) यदि वह परिषद् के तीन लगातार साधारण सम्मिलनों से ऐसे प्रति हेतु के बिना अनुपस्थित रहे जो कि परिषद् की राय में पर्याप्त हो; या

(ख) यदि वह धारा ५ की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट की गई निरर्हताओं में से किसी भी निरर्हता का भागी हो जाये; या

(ग) धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित किये गये सदस्य के मामले में, यदि वह रजिस्टर में नामांकित न रह जाय; या

(घ) धारा 3 की उपधारा (१) के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य के मामले में, यदि वह उस पद पर न रहे जिसके कि आधार पर उसका इस प्रकार नामनिर्देशन किया गया हो :

और तदुपरान्त परिषद् उसका स्थान रिक्त घोषित करेगी :

परन्तु परिषद् किसी स्थान को तब तक रिक्त घोषित नहीं करेगी जब तक कि संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(५) परिषद् में होने वाली आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायगी, और उस रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचित किया गया या नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति केवल उस अवधि के शेष काल के लिये पद धारण करेगा जिसके लिये कि वह सदस्य जिसका कि स्थान वह लेता हो, निर्वाचित या नामनिर्देशित किया गया था.

(६) जहां किसी सदस्य के बारे में पांच वर्ष की उक्त अवधि का अवसान होने को है, वहां उस अवधि का अवसान होने के पूर्व तीन मास के भीतर किसी भी समय उत्तराधिकारी का निर्वाचन या नामनिर्देशन किया जा सकेगा किन्तु वह उत्तराधिकारी तब तक पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उक्त अवधि का अवसान न हो जाय.

**अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव.**

८. (१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से ऐसे बहुमत से, जो परिषद् के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से कम न हो और ऐसा बहुमत तत्समय परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, परिषद् द्वारा पारित किये गये संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा:

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो.

(२) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके कि विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन प्रस्ताव पारित किया गया हो, पद धारण करने से तत्काल परिविरत हो जायगा और अध्यक्ष के हटा दिये जाने की दशा में उपाध्यक्ष उस समय तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो जाय.

(३) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें कि उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जानी हो. ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, द्वारा या उसके इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गये अधिकारी द्वारा की जायगी. तथापि, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलन की कार्यवाहियों में बोलने तथा अन्यथा भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा.

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिये सम्मिलन विहित रीति में किया जायगा.

कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियां.

९. (१) परिषद् अपने सदस्यों में से एक कार्यकारिणी समिति का तथा साधारण या विशेष प्रयोजनों के लिये ऐसी अन्य समितियों का गठन करेगी जिन्हें कि परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे.

(२) कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से, जो पदेन सदस्य होंगे, तथा ऐसे अन्य पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी जो परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे जिनमें से कम से कम तीन सदस्य परिषद् के नामनिर्देशित सदस्यों में से होंगे.

(३) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होंगे.

(४) कार्यकारिणी समिति, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों तथा इस अधिनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किये गये कर्त्तव्यों के अतिरिक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जिन्हें कि परिषद् किन्हीं ऐसे विनियमों द्वारा, जो कि इस संबंध में बनाये जायं, उसे प्रदत्त करे या उस पर अधिरोपित करे.

(५) उपधारा (१) के अधीन गठित समिति, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने में, परिषद् के नियंत्रणाधीन होगी और परिषद् ऐसी समिति द्वारा पारित किये गये किसी आदेश को या उसके द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को पुनरीक्षित करने या उसे विखण्डित करने के लिये सक्षम होगी.

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां एवम् कर्तव्य.

१०. (१) अध्यक्ष को, परिषद् तथा कार्यकारिणी समिति के सम्मिलन बुलाने की शक्ति प्राप्त होगी. वह परिषद्, कार्यकारिणी समिति तथा ऐसी अन्य समितियों के सम्मिलनों की, जिनका कि वह सदस्य हो, अध्यक्षता करेगा.

(२) अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे, कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, इस प्रयोजन के लिये आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी.

(३) अध्यक्ष, परिषद् के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और परिषद् कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा.

(४) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिषद् द्वारा उसे प्रदत्त की जायं.

(५) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को इस बात के लिये सशक्त कर सकेगा कि वह उसके (अध्यक्ष के) नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष की शक्तियों, कर्त्तव्यों या कृत्यों में से किसी एक या एक से अधिक शक्तियों का प्रयोग करे, अध्यक्ष के एक या एक से अधिक कर्त्तव्यों का पालन करे या उसके एक या एक से अधिक कृत्यों का निर्वहन करे

के बारे में, कोई व्यय या प्रभार, या कोई फीस, जिसका कि वह हकदार हो, विधि के सम्यक् अनुक्रम में वसूल करे;

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को, यदि वह ऐसी वांछा करे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (क्रमांक २ सन् १९७४) के अधीन किसी मृत्यु-समीक्षा का कार्य करने से या जूरी सदस्य या असेसर के रूप में कार्य करने से छूट दी जायगी.

इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न किये गये व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय आदि करने का प्रतिषेध.

२८. तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(१) धारा २२ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति, अभिलाभ के लिये चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा या प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर स्वयं को इस रूप में नहीं जतलायेगा कि वह अभिलाभ के लिये होमियोपैथी का व्यवसाय करता है या इस व्यवसाय को करने के लिये सक्षम है,

(२) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति,—

(क) किसी भी जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र को, जिसके कि संबंध में तत्समय प्रवृत किसी विधि या नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि वह सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत किया जाय, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत नहीं करेगा;

(ख) किसी भी चिकित्सीय या शारीरिक योग्यता के प्रमाण-पत्र को, जिसके कि संबंध में तत्समय प्रवृत किसी विधि या नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि वह सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत किया जाय, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत नहीं करेगा; या

(ग) किसी मृत्यु-समीक्षा में या किसी विधि न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ सन् १८७२) की धारा ४५ के अधीन, चिकित्सा से संबंधित किसी विषय पर, विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने के लिये अर्हित नहीं होगा.

उपाधि या उपाधि-पत्र का मिथ्या ग्रहण अपराध होगा.

२९. कोई भी व्यक्ति, यह लक्षित करते हुए कि वह मान्य अर्हता रखता है या वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है या उसका नाम धारा ५३ में निर्दिष्ट की गई सूची में प्रविष्ट है, किसी भी पदवी या लक्षण (डिस्क्रिप्शन) का तब तक उपयोग नहीं करेगा या उसे अपने नाम के साथ नहीं जोड़ेगा, जब तक कि वह वास्तव में ऐसी उपाधि, उपाधि-पत्र, अनुज्ञप्ति या प्रमाण-पत्र धारण न करता हो या धारा २२ के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो या निरसित एक्ट की धारा १८ के अधीन रखी गई सूची में उसका नाम दर्ज न हो.

उपाधि, उपाधि-पत्र, आदि के अप्राधिकृत रूप से प्रदान किये जाने का प्रतिषेध.

३०. परिषद्, विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था से भिन्न कोई भी व्यक्ति, संघ या संस्था यह कथित या लक्षित करते हुए कि किसी उपाधि, उपाधि-पत्र, अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, या किसी अन्य दस्तावेज का धारक, प्राप्तिकर्ता या ग्रहीता होमियोपैथी का व्यवसाय करने के लिये अर्हित है, कोई भी उपाधि या उपाधि-पत्र प्रदान नहीं करेगा या कोई अनुज्ञप्ति मंजर नहीं करेगा या कोई प्रमाण-पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जारी नहीं करेगा.

३१. वह फीस, जो इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों द्वारा या उनके अधीन संदाय की जाने के लिये अपेक्षित हो, वापस नहीं की जायगी. — फीस का वापस न किया जाना.

## आठवां अध्याय—होमियोपैथी की शिक्षा, परीक्षाओं का संचालन अध्ययन-पाठ्यक्रम तथा संस्थाओं को मान्यता

३२. (१) परिषद्, विनियमों द्वारा, उसके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिये, ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हताओं के लिये, ऐसी परीक्षाओं हेतु अध्ययन-पाठ्यक्रम के लिये, उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र या वैसे ही अन्य किसी पुरस्कार के लिये, जो कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को दिया जाना हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु स्तरमान के लिये तथा ऐसी परीक्षाओं के संबंध में ऐसी अन्य बातों के लिये जो कि आवश्यक हों, उपबंध करेगी और ऐसा प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक संस्थाओं की स्थापना कर सकेगी. — परिषद् द्वारा ली जाने वाली परिक्षाएं तथा अध्ययन पाठ्यक्रम और होमियोपैथी में गवेषणा.

(२) परिषद् स्वयं या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की सहायता से होमियोपैथी में गवेषणा संस्था की स्थापना कर सकेगी.

३३. (१) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था परिषद् की उन परीक्षाओं के लिये, जिनके कि लिये उस संस्था को मान्यता दी गई हो, विद्यार्थियों को तैयार करने के लिये हकदार होगी. — संस्थाओं को मान्यता.

(२) कोई भी संस्था, जो इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त करने की वांछा करती हो, रजिस्ट्रार को ऐसे प्ररूप तथा रीति में और ऐसी फीस के साथ जैसा कि परिषद् विनियमों द्वारा उपबंधित करें, आवेदन भेजेगी.

(३) रजिस्ट्रार आवेदन को परिषद् के समक्ष रखेगा और परिषद् ऐसी जांच करने के पश्चात् जो कि वह आवश्यक समझे, मान्यता दे सकेगी या मान्यता देने से इन्कार कर सकेगी या ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए मान्यता दे सकेगी जैसी कि वह उचित समझे :

परन्तु मान्यता तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि—

(क) आवेदक ने मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९७३ (क्रमांक १९ सन् १९७३) के उपबंधों का अनुपालन न किया हो और उसे चिकित्सीय शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा प्रशासित करने या चलाने की अनुज्ञा न दे दी गई हो;

(ख) होमियोपैथी में शिक्षा के न्यूनतम स्तरमानों को, यदि कोई हो, जो होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ५९ सन् १९७३) की धारा २० के अधीन विहित किये गये हों, पूरा न कर लिया हो.

३४. परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि शिक्षा में प्रवीणता का यथेष्ट स्तर बना रहे और ऐसा स्तर प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये, परिषद् को यह प्राधिकार होगा कि वह परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी — स्तर को बनाये रखना.

संस्था के या किसी ऐसी संस्था के, जिसने मान्यता हेतु आवेदन किया हो, प्राधिकारियों से या उसके शासी निकाय से यह अपेक्षा करे कि वह---

(क) विनियमों द्वारा विहित किसी अध्ययन-पाठ्यक्रम के बारे में या, ऐसी संस्था द्वारा ली गई किसी परीक्षा के बारे में ऐसी विशिष्टियां ऐसी कालावधि के भीतर दे जैसा कि परिषद् द्वारा अपेक्षित किया जाय;

(ख) परिषद् को, महाविद्यालय तथा उसके शासी निकाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी दे; और

(ग) परिषद् या होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किये गये परिदर्शक या निरीक्षक या किसी सदस्य को संस्था का तथा उससे संबद्ध चिकित्सालयों का निरीक्षण करने दे और संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं में या किसी परीक्षा में हाजिर रहने दे.

**परिदर्शकों, निरीक्षकों तथा परिदर्शक समितियों की नियुक्ति.**

३५. (१) परिषद्, विनियम में उपबंधित किये गये अनुसार, चिकित्सीय संस्थाओं का निरीक्षण करने तथा उनके कार्यकरण के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु परिदर्शकों की तथा ऐसी परिदर्शक समितियों की नियुक्ति कर सकेगी जो परिषद् के स्वयं के सदस्यों से या बाहरी व्यक्तियों से, या दोनों से, मिलकर बनेगी. परिदर्शक या परिदर्शक समिति के सदस्य, व्ययों के भाग के रूप में चुकाया जाने वाला ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जो कि विहित किया जाय.

(२) परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इतनी संख्या में तथा ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों पर निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी जैसा कि विहित किया जाय.

(३) ऐसे निरीक्षक, परिषद् द्वारा स्थापित या मान्य की गई संस्थाओं का निरीक्षण, परिषद् द्वारा समय-समय पर दिये गये साधारण या विशेष निदेशों के अनुसार करेंगे, तथा ऐसी संस्थाओं में ली गई किसी भी परीक्षा के समय हाजिर रहेंगे और शिक्षा के स्तर की, जिसके अन्तर्गत कर्मचारीवृन्द, उपस्कर, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाएं आती हैं, यथेष्टता के बारे में या ऐसी प्रत्येक परीक्षा, जिसमें कि वे हाजिर रहे हों, की पर्याप्तता के बारे में अपने संप्रेक्षणों से तथा अपनी राय से परिषद् को सूचित करेंगे. तथापि, निरीक्षक या परिदर्शक प्रशिक्षण तथा परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

**मान्यता का प्रत्याहरण.**

३६. यदि परिषद् को, निरीक्षण की रिपोर्ट पर से या अन्यथा ऐसा प्रतीत हो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था ने परिषद् की या होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् की अपेक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षण का यथेष्ट स्तर नहीं बनाये रखा है, तो परिषद् ऐसी संस्था को दी गई मान्यता किसी भी समय प्रत्याहृत कर सकेगी :

परन्तु मान्यता संबंधी आदेश का प्रत्याहरण किया जाने के पूर्व संस्था को अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिये युक्तियुक्त अवसर तथा समय दिया जायेगा.

**छात्रवृत्ति, वृत्तिकाएं तथा पारितोषिक.**

३७. (१) परिषद् मान्यता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों को, अपनी निधि में से छात्रवृत्ति, पारितोषिक तथा पदक प्रदान कर सकेगी.

(२) परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व मन्जूरी से,---

(क) निर्धन तथा योग्य विद्यार्थियों को वृत्तिकाएं मंजूर कर सकेगी

(ख) भारत में या भारत के बाहर स्थित किसी भी संस्था में, जिसे कि परिषद् उचित समझे, होमियोपैथी में गवेषणा के लिये तथा उच्चत्तर या विशेष अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां मंजूर कर सकेगी.

३८. (१) परिषद् उन व्यक्तियों को, जो परिषद् द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में ली गई परीक्षा में सफल हुए हों, उपाधियां, उपाधि-पत्र तथा अन्य पुरस्कार देने के लिये प्रत्येक वर्ष में एक बार दीक्षान्त समारोह कर सकेगी. दीक्षांत-समारोह का किया जाना, सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना.

(२) परिषद्, ऐसे दीक्षान्त समारोह में ख्याति प्राप्त होमियोपैथी व्यवसायी को तथा असाधारण कुशलता वाले अन्य ऐसे व्यक्तियों को सम्मानिक उपाधिया प्रदान कर सकेगी.

३९. परिषद, उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये, उसके द्वारा विहित किये गये अध्ययन-पाठ्यक्रम हेतु पाठ्य-पुस्तकें तैयार कर सकेगी तथा उन्हें प्रकाशित कर सकेगी और परिषद् का जरनल प्रकाशित कर सकेगी. पाठ्य-पुस्तकों, आदि का प्रकाशन.

## नवां अध्याय—नियंत्रण

४०. (१) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि परिषद ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में चूक की है या उसका अतिरेक किया है या उसका दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त कर्तव्यों में से किसी भी कर्तव्य का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार, यदि वह ऐसी चूक अतिरेक या दुरुपयोग को गम्भीर स्वरूप का समझती है, परिषद् को उसकी विशिष्टियां अधिसूचित करेगी और यदि परिषद् ऐसे समय के भीतर जिसे कि राज्य सरकार इस संबंध में नियत करे, ऐसी चूक, अतिरेक या दुरुपयोग का उपचार करने में असफल रहे, तो राज्य सरकार परिषद् को पांच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, जो कि वह उचित समझे, विघटित कर सकेगी तथा नवीन परिषद् अस्तित्व में लाने की कार्यवाही करेगी. राज्य सरकार का नियंत्रण.

(२) उपधारा (१) के अधीन परिषद् का विघटन होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :—

(क) परिषद् के समस्त सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में यह समझा जायगा कि उन्होंने ऐसी परिषद् के विघटन की तारीख से अपने पद रिक्त कर दिये हैं;

(ख) इस अधिनियम के अधीन परिषद् की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा समस्त कर्तव्यों का पालन, राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, प्रशासक कहलाये जाने वाले ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसे कि राज्य सरकार, इस संबंध में, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे;

(ग) परिषद् के निहित समस्त संपत्ति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, प्रशासक में न्यासतः निहित हो जायगी.

(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक, राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा और उसे (राज्य सरकार को) उस अधिकारी के स्थान पर दूसरा अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी.

(४) उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन प्रशासक नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी, अपनी सेवाओं के लिये परिषद्-निधि से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय.

(५) प्रशासक उस तारीख से पद पर नहीं रहेगा जो कि यथा पुनर्गठित परिषद् के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये नियत की गई हो.

(६) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, तो उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को सलाह तथा मार्गदर्शन देने के प्रयोजन के लिये सात से अनधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की एक सलाहकार समिति नियुक्त कर सकेगी. समिति का प्रत्येक सदस्य ऐसी दर से भत्ते प्राप्त करेगा जिस दर से कि भत्ते परिषद् के सदस्य को देय होते हैं.

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जानकारी प्रस्तुत करेंगे.

४१. (१) परिषद् अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे,—

(क) परिषद् के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कोई विवरणियां, आंकडे या कोई अन्य जानकारी दे;

(ख) किसी भी ऐसे मामले के संबंध में रिपोर्ट या स्पष्टीकरण दे;

(ग) किसी ऐसे अभिलेख पत्र-व्यवहार, योजना या किन्हीं अन्य ऐसे दस्तावेजों की प्रतिलिपि दें जो कि अध्यक्ष के नाते उसके कब्जे या नियंत्रण में हों या जो परिषद् के किसी सेवक के कार्यालय में अभिलिखित या फाइल किये गये हों.

(२) अध्यक्ष, उपधारा (१) के अधीन की गई प्रत्येक अध्यपेक्षा का अनुपालन बिना किसी अनुचित विलम्ब के करेगा.

परिषद् के आदेश, आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति.

४२. यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि परिषद् के या परिषद् की समितियों में से किसी भी समिति के या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी के किसी आदेश का या संकल्प का निष्पादन किया जाना या किसी ऐसे कार्य का किया जाना, जो कि परिषद् द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, विधि के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरुप नहीं है या परिषद् के हितों के लिये या लोक हितों के लिये अपायकर है, तो वह (राज्य सरकार) लिखित आदेश द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश का निष्पादन निलंबित कर सकेगी या किसी भी ऐसे कार्य के किये जाने का प्रतिषेध कर सकेगी :

परन्तु किसी भी आदेश में, उस आदेश में, उस आदेश के विरुद्ध परिषद् को कारणदर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, फेरफार नहीं किया जायगा या उसे उलटाया नहीं जायगा.

## दसवां अध्याय—प्रकीर्ण

**दस्तावेज पेश करने के लिये परिषद् के सेवकों की समन करने पर निर्बन्धन.**

४३. परिषद् के किसी भी सदस्य या अधिकारी या सेवक को, किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें कि परिषद् पक्षकार न हो, कोई रजिस्टर या दस्तावेज पेश करने या उसमें अभिलिखित बात को साबित करने के लिये साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिये तब तक अपेक्षित नहीं किया जावेगा जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों से ऐसा निदेश न दे.

**इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का परित्राण.**

४४. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी.

**परिषद् का रजिस्ट्रार तथा अन्य सेवक लोक सेवक होंगे.**

४५. परिषद् का रजिस्ट्रार तथा कोई भी अन्य अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा.

**अपराधों का संज्ञान.**

४६. (१) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का न संज्ञान करेगा और न उसका विचारण करेगा.

(२) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे परिषद् साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत करे, की गई लिखित शिकायत पर ही करेगा अन्यथा नहीं.

**असेसर की नियुक्ति.**

४७. (१) किसी जांच में या सामान्यतया उद्भूत होने वाले विधि के प्रश्नों पर परिषद् को सलाह देने के प्रयोजन के लिये, परिषद् द्वारा असेसर की नियुक्ति की जा सकेगी जो एडवोकेट्स एक्ट, १९६१ (क्रमांक २५ सन् १९६१) के अधीन नामांकित किया गया अधिवक्ता होगा.

(२) इस धारा के अधीन किसी असेसर को या तो सामान्यतः या किसी विशिष्ट जांच या जांचों के वर्ग के लिये नियुक्त किया जा सकेगा और उसे ऐसा पारिश्रमिक संदाय किया जायेगा जो कि परिषद् द्वारा अवधारित किया जाये.

**अपीलें.**

४८. (१) (क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के प्रत्येक विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील परिषद् को होगी;

(ख) उस विनिश्चय को छोड़कर जो कि खण्ड (क) के अधीन अपील में परिषद् द्वारा किया गया हो, इस अधिनियम के अधीन परिषद् के प्रत्येक विनिश्चय के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को होगी.

(२) प्रत्येक अपील, ऐसी कालावधि के भीतर ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये.

(३) अपील में, यथास्थिति, परिषद् या राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

**अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.**

४९. (१) भारत में या भारत के बाहर स्थित कोई भी विश्वविद्यालय या अन्य ऐसी चिकित्सीय संस्था, जो होमियोपैथी में ऐसी चिकित्सीय अर्हताएं प्रदान करती हों जो कि अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ऐसी अर्हताओं को मान्यता प्राप्त

कराने हेतु राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगी और राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार संशोधित करेगी कि जिससे ऐसी अर्हता उस अनुसूची में सम्मिलित हो जाये, और ऐसी अधिसूचना में यह निदेश भी दिया जा सकेगा कि ऐसी अर्हता मान्य अर्हता होगी जबकि वह विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पश्चात् प्रदान की जाये.

(२) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि जिससे उसमें होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ५९ सन् १९७३) की द्वितीय तथा तृतीय अनुसूची में समय-समय पर सम्मिलित की गई मान्य चिकित्सीय अर्हता सम्मिलित की जा सके.

शास्ति.

५०. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का या उसके अधीन बनाये गये नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो प्रथम बार दोषसिद्ध ठहराये जाने पर एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संथा हो, तो ऐसी संथा का प्रत्येक सदस्य जो जानते हुये या जानबूझकर ऐसा उल्लंघन प्राधिकृत करेगा या उसके लिये अनुज्ञा देगा, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो प्रथम बार दोष सिद्ध ठहराये जाने पर एक हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध के लिये दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.

## ग्यारहवां अध्याय—नियम तथा विनियम

नियम बनाने की शक्ति.

५१. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टितः तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन परिषद् के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की रीति;

(ख) धारा ४ के अधीन सदस्य के निर्वाचन का ढंग;

(ग) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का त्यागपत्र;

(घ) धारा ८ के प्रयोजनों के लिये सम्मिलन करने की रीति;

(ङ) परिषद् तथा उसकी समितियों के सम्मिलनों का समन किया जाना तथा किया जाना, समय तथा स्थान जहां कि ऐसे सम्मिलन किये जाने हों, उनमें किये जाने वाले कामकाज का संचालन तथा उनमें की गई कार्यवाहियों के कार्यवृत्त का रखा जाना और समितियों के सम्मिलनों में गणपूर्ति करने के लिये आवश्यक सदस्य संख्या;

(च) धारा १५ के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या भत्ता;

(छ) (एक) तारीख जिसके पूर्व, अन्तराल जिन पर तथा रीति जिसमें, परिषदों के लेखे धारा १७ की उपधारा (१) के अधीन तैयार किये जायेंगे;

(दो) रीति जिसमें संपरीक्षित लेखाओं की प्रतिलिपि, धारा १७ की उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी;

(ज) (एक) प्ररूप, जिसमें धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन बजट तैयार किया जायगा, और समय, जब तथा रीति जिसमें वह बजट परिषद् के समक्ष रखा जायगा;

(दो) प्ररूप जिसमें तथा तारीख जिस तक धारा १८ की उपधारा (४) के अधीन अनुपूरक बजट तैयार किया जायगा;

(झ) धारा १९ के अधीन रजिस्ट्रार का काडर, उसकी अर्हतायें, उसका वेतन तथा भत्ते और अन्य निबन्धन तथा शर्तें एवं अनुशासनिक नियंत्रण और अपील करने का अधिकार;

(ञ) परिषद् के ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की, जो रजिस्ट्रार से भिन्न हों, संख्या, उनका काडर, उनकी अर्हतायें, उनकी भरती, उनके वेतन, उनके भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें, जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण और अपील का अधिकार आता है, जो कि धारा २० के अधीन विहित की जानी है;

(ट) (एक) रीति जिसमें धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन रजिस्टर रखा जायगा;

(दो) रीति जिसमें धारा २१ की उपधारा (२) के अधीन रजिस्टर प्रकाशित किया जायगा;

(ठ) (एक) फीस तथा वह प्ररूप जिसमें धारा २२ की उपधारा (१) के अधीन आवेदन किया जायगा;

(दो) धारा २२ की उपधारा (२) के अधीन फीस तथा उस फीस का संदाय करने की रीति;

(तीन) प्ररूप, जिसमें धारा २२ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र दिया जायगा;

(ड) रीति जिसमें धारा २५ की उपधारा (१) के अधीन जांच की जायगी;

(ढ) धारा ३५ की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले निरीक्षकों की संख्या, उनका काडर, उनकी अर्हतायें, उनकी भरती, उनका वेतन, उनके भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण और अपील का अधिकार आता है;

(ण) कालावधि जिसके भीतर, तथा रीति जिसमें, धारा ४८ के अधीन अपील की जायगी और फीस जो ऐसी अपील के साथ दी जायगी;

(त) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना हो या विहित किया जाय या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्धित किया जाना हो या उपबंधित किया जाय.

(94)



(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

विनियम बनाने की शक्ति.

५२. (१) परिषद् साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विनियम बना सकेगी तथा ऐसे विनियमों में, इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे :—

(क) परिषद् की कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन;

(ख) कार्यकारिणी समिति की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य;

(ग) परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य जो धारा १० के अधीन अध्यक्ष को प्रदत्त की जानी हों तथा उस पर अधिरोपित किये जाने हों;

(घ) रीति, जिसमें धारा २६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की सूची प्रकाशित की जायगी;

(ङ) धारा ३२ के अधीन प्रशिक्षण तथा अर्हक परीक्षाओं के लिये अध्ययन-पाठ्यक्रम और ऐसी परीक्षा में संस्था के विद्यार्थियों के प्रवेश की शर्तें तथा परीक्षा;

(च) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा परीक्षाओं के संचालन से संबंधित समस्त विषय जिनके अन्तर्गत पारिश्रमिक तथा अन्य व्यय आते है;

(छ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की संख्या, अर्हताएं तथा उनकी उपलब्धियां और प्रत्येक संस्था में अध्ययन-पाठ्यक्रमों के लिये प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ज) संस्थाओं को मान्यता देने की शर्तें और ऐसी संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को बनाये रखना;

(झ) शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए, वृत्तिकायें, छात्रवृत्तियां, पारितोषिक तथा पदक मंजूर किये जायेंगे;

(ञ) कोई भी विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन उपबन्ध विनियम द्वारा किया जाय.

(२) राज्य सरकार, विनियमों को, जब कि वे मंजूरी के लिये प्राप्त हो जांय, ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन, जैसे कि वह उचित समझे, मंजूर कर सकेगी, या उन पर और आगे विचार करने के लिये उन्हें परिषद् को वापस कर सकेगी.

(३) समस्त विनियम "राजपत्र" में प्रकाशित किये जायेंगे.

(४) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी विनियम को रद्द कर सकेगी.

## बारहवां अध्याय—व्यावृत्ति

व्यावृत्ति

५३. मध्यप्रदेश होमियोपैथिक एन्ड बायोकेमिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट, १९५१ (क्रमांक २६ सन् १९५१) का निरसन हो जाने पर भी, उन व्यक्तियों को, जिनके कि

नाम निरसित एक्ट की धारा १८ के अधीन रखी गई सूची में दर्ज हैं, राज्य में होमियोंपैथी चिकित्सा व्यवसाय करने के संबंध में वे ही अधिकार प्राप्त रहेंगे जो कि उन्हें निरसित एक्ट के अधीन प्राप्त थे.

## तेरहवां अध्याय—अस्थायी उपबन्ध

अस्थायी उपबन्ध

५४. परिषद्, निरसित एक्ट के अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों में, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे उपान्तरण कर सकेगी जिन्हें कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये उचित समझे और इस प्रकार उपान्तरित किये गये नियम या विनियम तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा निरस्त न कर दिये जायं.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.

५५. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी.

निरसन.

५६. मध्यप्रदेश होमियोपैथी परिषद् अध्यादेश, १९७५ (क्रमांक १३ सन् १९७५) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

## अनुसूची

(धारा २२ देखिये)

होमियोपैथी में मान्य चिकित्सीय अर्हताएं, जो भारत में तथा भारत के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों, परिषदों, बोर्डों या चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई है.

| विश्वविद्यालय, कोर्ड, परिषद्, बोर्ड या चिकित्सा संस्था का नाम (१) | मान्य चिकित्सीय अर्हता (२) | रजिस्ट्रीकरण के लिये संक्षेपाक्षर (३) | टिप्पणियां (४) |
|---|---|---|---|
| **आन्ध्र प्रदेश** | | | |
| १. आन्ध्र प्राविन्शियल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, गुडीवाड़ा. | डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन. | डी. एच. एम. | अप्रैल सन् १९४९ मार्च सन् १९६९ तक |
| २. डा. गुरुराजू गवर्नमेन्ट होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, गुडीवाड़ा. | डिप्लोमा इन होमियोपथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | डी. एच. एम. एस. | अप्रैल सन् १९७० से आगे. |

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|---|---|---|---|
| ३. बोर्ड ग्राफ इण्डियन मेडिसिन, हैदराबाद. | डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | डी. एच. एम. एस. | अक्टबर १९७१ से |
| **बिहार** | | | |
| ४. बिहार स्टेट बोर्ड ग्राफ होमियोपैथिक मेडिसिन. | डिप्लोमा इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | डी. एम. एस. | सन् १९६१ से |
| | डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | डी. एच. एम. एस. | सन् १९७१ से |
| **दिल्ली** | | | |
| ५. बोर्ड ग्राफ होमियोपैथिक सिस्टम ग्राफ मेडिसिन, दिल्ली. | डिप्लोमा इन होमियोपैथिक साइन्स. | डी. एच. एस. | सन् १९६५ से १९७०-७१ तक. |
| | डिप्लोमा इन होमियोपथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | डी. एच. एम. एस. | सन् १९७१ से आगे. |
| **कर्नाटक** | | | |
| ६. दि होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, बेलगांव. | लाइसेन्शिएट ग्राफ दि कोर्ट ग्राफ एग्जामिनर्स इन होमियोपथी. | एल. सी. ई. एच. | जून सन् १९७१ से दिसम्बर १९७१ तक. |
| ७. कोर्ट ग्राफ एग्जामिनर्स इन होमियोपथिक एज्युकेशन, बैंगलोर. | लाइसेन्शिएट ग्राफ दि कोर्ट ग्राफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी. | एल. सी. ई. एच. | जनवरी सन् १९७१ से. |
| | ग्रेजूएट ग्राफ दि कोर्ट ग्राफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी. | जी. सी. ई. एच. | जनवरी सन् १९७३ से. |
| **केरल** | | | |
| ८. रायल कालेज ग्राफ होमियोपैथिक फिजीशियन्स, अर्नाकुलम. | लाइसेन्शिएट ग्राफ रायल कालेज ग्राफ होमियोपैथिक फिजीशियन्स. | एल. ग्रार. सी. एच. पी. | सन् १९६६-६७ तक. |

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|---|---|---|---|
| ९. बोर्ड आफ [illegible] इन होमियो[illegible] [illegible] आफ केरल. | डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन. | डी. एच. एम. | सन् १९६२ से आगे. |
| | **मध्यप्रदेश** | | |
| १०. दी बोर्ड आफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम्स आफ मेडिसिन, मध्यप्रदेश. | डिप्लोमा इन होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिस्ट्री. | डी. एच. बी. | अक्टूबर सन् १९५५ से आगे. |
| | **महाराष्ट्र** | | |
| ११. दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स आफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम्स आफ मेडिसिन, बम्बई | लाइसेन्शिएट आफ दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी. | एल. सी. ई. एच. | दिसम्बर सन् १९६१ से आगे. |
| | डिप्लोमा इन होमियोपैथी एण्ड बायोकैमिस्ट्री. | डी. एच. बी. | अक्टूबर सन् १९५५ से आगे. |
| १२. कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी. | फेलो आफ दि कोर्ट आफ एग्जामिनर्स इन होमियोपैथी. | एफ. सी. ई. एच. | केवल मई सन् १९५८ में. |
| १३. विदर्भ बोर्ड आफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम्स आफ मेडिसिन, [illegible] | डिप्लोमा इन होमियोपैथी एण्ड बायोकैमिस्ट्री. | डी. एच. बी. | १-११-५६ से |
| | **उड़ीसा** | | |
| १४. उड़ीसा बोर्ड आफ होमियोपैथिक मेडिसिन, [illegible] | डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | डी. एच. एम. एस | सन् १९७२ से. आगे. |
| | **उत्तर प्रदेश** | | |
| १५. स्टेट बोर्ड आफ होमियोपैथिक मेडिसिन उत्तरप्रदेश, लखनऊ. | ग्रेज्युएट आफ होमियोपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | जी. एच. एम. एस | सन् १९६१ १९६३ तक. |
| | बेचलर आफ मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | बी. एम. एस. | सन् १९५८ से १९६० तक तथा सन् १९[illegible] से आगे |
| | सर्टिफिकेट आफ होमियोपैथिक प्रेक्टिस. | सी. एच. पी. | |

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|---|---|---|---|
| १६. आगरा युनिवर्सिटी, आगरा .. | ग्रेजुएट आफ होमियोपैथिक मेडिसिन ऐंड सर्जरी. | जी. एच. एम. एस. | सन् १९ १९६७ |
| १७. कानपुर युनिवर्सिटी, कानपुर. | ग्रेजुएट आफ होमियोपैथिक मेडिसिन ऐंड सर्जरी | जी. एच एम. एस. | सन् १९ आगे. |
| १८. नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ. | | एच. एल. एम. एस. | सन् १९ १९३ |
| | | एच. एम. डी. | सन् १९ १९४ |
| | | एच. एम. बी. | सन् १९ १९४ |
| | | बी. एम. एस. | सन् १९ १९५ |
| १९. होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ. | | एच. एम. बी. | सन् १९३ १९३६ |
| २०. दि युनीरियर इंडिपेन्डेन्ट इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड साइंस, लखनऊ. | | एम. डी. एच. | सन् १९१ १९४० त |

पश्चिमी बंगाल

| (१) | (२) | (३) | (४) |
|---|---|---|---|
| २१. दि कौन्सिल आफ होमियोपैथिक मेडिसिन. वेस्ट बंगाल. | डिप्लोमा इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | डी. एम. एस | सन् १९६५ से |
| २२. जनरल कौन्सिल एण्ड स्टेट फकल्टी आफ होमियोपैथिक मेडिसिन, वेस्ट बंगाल | डिप्लोमा इन मेडिसिन एण्ड सर्जरी. | डी. एम. एस. | सन् १९४३ से १ तक. |
| २३. कलकत्ता होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, कलकत्ता. | बेचलर आफ होमियोपैथिक मेडिसिन. | एच.एम.बी. | सन् १९३ |
| | बेचलर आफ मेडिसिन एण्ड बेचलर आफ सर्जरी. | बी. एम. बी. एस. | सन् १९३ १९४२ त |
| २४. बैंगाल एलेन होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, कलकत्ता. | **बैचलर आफ होमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी.** | **बी. एच. एम. एस.** | **सन् १९४२** |

(६) उपाध्यक्ष,—

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का पालन करेगा, और

(ख) अवसर आने पर किसी भी समय, अध्यक्ष द्वारा उपधारा (५) के अधीन उसे प्रत्यायोजित किये गये किसी भी कर्तव्य का पालन तथा प्रत्यायोजित की गई किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा.

## तीसरा अध्याय—परिषद् तथा उसकी समितियों के काम काज का संचालन

परिषद् के सम्मिलन.

११. परिषद् अपने सम्मिलन करेगी और समय-समय पर अपने सम्मिलन के स्थान, दिन, समय, प्रबन्ध तथा स्थगन के बारे में ऐसी व्यवस्था, जैसी कि वह उचित समझे, निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, करेगी, अर्थात् :—

(क) साधारण सम्मिलन सामान्यतः प्रत्येक छः मास में कम से कम एक बार होगा ;

(ख) अध्यक्ष, जब कभी वह उचित समझे, विशेष सम्मिलन बुला सकेगा तथा तत्समय परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर, विशेष सम्मिलन बुलायेगा ;

(ग) प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में किसी भी ऐसे सदस्य द्वारा की जायगी जो सम्मिलन के लिये उपस्थित सदस्यों द्वारा उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिये चुना जाय ;

(घ) किसी भी सम्मिलन में समस्त प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा;

(ङ) उपस्थित सदस्यों के नाम और प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिये दी जाने वाली पुस्तक में अभिलिखित किया जायगा;

(च) कार्यवृत्त का अनुमोदन परिषद् द्वारा उसी सम्मिलन में या ठीक आगामी सम्मिलन में किया जायगा और उस पर अध्यक्ष द्वारा या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उसकी एक प्रतिलिपि अनुमोदन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को अग्रेषित की जायगी जिसे राज्य सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे.

गणपूर्ति.

१२. (१) विशेष सम्मिलन के लिये गणपूर्ति ग्यारह सदस्यों से होगी और साधारण सम्मिलन के लिये गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी.

(२) यदि परिषद् के किसी विशेष या साधारण सम्मिलन में गणपूर्ति न हो तो अध्यक्ष सम्मिलन को उतने समय के लिये या ऐसे अन्य दिन के लिये जैसा कि वह उचित समझे, स्थगित कर देगा और वह कामकाज, जो मूल सम्मिलन के समक्ष उसमें गणपूर्ति होने की दशा में लाया जाता, स्थगित सम्मिलन के समक्ष लाया जायगा तथा उसमें सम्पादित किया जायगा चाहे उसमें गणपूर्ति हो या न हो.

समितियों के सम्मिलन.

१३. (१) धारा ९ के अधीन गठित समितियां प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार, कितनी ही बार किन्तु कम से कम दो बार ऐसे समय और स्थान पर, जो कि परिषद् द्वारा नियत किया जाय, सम्मिलन करेंगी.

(२) जब तक कि नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाय, समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से गणपूर्ति होगी और समिति के समस्त कार्य उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे.

परिषद तथा उसकी समितियों में होने वाली रिक्तियों से कार्यों, आदि का अविधिवत् न होना.

१४. परिषद् या उसकी किसी समिति के किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायगा कि यथास्थिति परिषद या समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है.

सदस्यों के लिये पारिश्रमिक का प्रतिषेध.

१५. परिषद् द्वारा किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक या भत्ता, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अनुसार ही दिया जायगा अन्यथा नहीं.

## चौथा अध्याय---परिषद् निधि, बजट तथा संपरीक्षा

परिषद् निधि का गठन.

१६. (१) एक निधि स्थापित की जायगी जो परिषद् निधि कहलाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किये जायंगे:---

(क) इस अधिनियम के अधीन किये गये रजिस्ट्रीकरणों के संबंध में संग्रहीत समस्त फीस;

(ख) इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं के संबंध में संग्रहीत समस्त फीस;

(ग) कोई भी अन्य फीस जो परिषद् द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन प्रभारित तथा संग्रहीत की जाय;

(घ) कोई भी अनुदान या उधार जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये दिये जायं;

(ङ) कोई भी अनुदान या उधार जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये दिये जायं;

(च) समस्त ऐसी राशियां जो परिषद द्वारा संदान, न्यास, वसीयत या किसी अन्य अनुदान के रूप में प्राप्त की जायं.

(२) उपधारा (१) के अधीन स्थापित की गई परिषद् निधि उन समस्त व्ययों तथा दायित्वों की पूर्ति करने के लिये खर्च की जायगी जो कि परिषद् द्वारा इस

अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उचित रूप से उपगत किये गये हों.

(३) परिषद् निधि में जमा हुये समस्त धन स्टेट बैंक आफ इंडिया में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७०) की प्रथम अनुसूची के कालम २ में विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य बैंक में या किसी सहकारी बैंक में जमा किये जायेंगे और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा तथा ऐसी रीति में उनका उपयोग किया जायगा जैसा कि विहित किया जाय.

**लेखे तथा संपरीक्षा.**

१७. (१) परिषद् के लेखे ऐसी तारीख के पूर्व तथा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाये, तैयार किये जायेंगे.

(२) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा संचालक द्वारा की जायेगी और वे मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) के उपबन्धों के अध्यधीन होंगे.

(३) जैसे ही परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा हो जाये, परिषद् उनकी एक प्रतिलिपि उस पर स्थानीय निधि लेखा संचालक को रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ, राज्य सरकार को ऐसे रीति में भेजेगी जो कि विहित की जाय.

**बजट.**

१८. (१) रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करवायेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय दर्शाये जायेंगे और उसे परिषद् के समक्ष ऐसे समय पर, तथा ऐसी रीति में रखवायेगा जैसा कि विहित किया जाये.

(२) उस सम्मिलन की, जिसमें बजट पारित किया गया हो, तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर वह (बजट) राज्य सरकार को या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, अग्रेषित किया जायेगा.

(३) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसको इस प्रकार अग्रेषित किये गये बजट के प्रावधान इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त नहीं है, तो वह (सरकार) बजट को, उसमें ऐसे उपान्तरण करने के लिये, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाये जायें, परिषद् को वापस कर देगी.

(४) परिषद्, इस बात के लिये सक्षम होगी कि वह ऐसी रकमों का, जो कि आवश्यक हों, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में और ऐसे शीर्षों या गौण शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग करे.

(५) परिषद्, जैसा और जब अपेक्षित हो, अनुपूरक बजट, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख तक, जो कि विहित की जाय, पारित कर सकेगी और उपधारा (२), (३) तथा (४) के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट को लागू होंगे.

## पांचवां अध्याय--परिषद् का रजिस्ट्रार तथा उसके अन्य कर्मचारी

**रजिस्ट्रार.**

१९. (१) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी. रजिस्ट्रार परिषद् का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक नियंत्रण और अपील का अधिकार आते हैं, ऐसी होंगी जो कि विहित की जाय :

परन्तु रजिस्ट्रार का पद दो मास से अनधिक कालावधि के लिये रिक्त रहने की दशा में, परिषद् किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकेगी.

(२) रजिस्ट्रार, परिषद् का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद् के समस्त कर्मचारी उसके अधीनस्थ होंगे. वह परिषद् का, धारा ९ के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति का तथा समस्त अन्य समितियों का, उस समिति को छोड़कर जिसमें रजिस्ट्रार के आचरण के संबंध में जांच की जा रही हो, सचिव होगा.

परिषद् के अन्य कर्मचारी.

२०. परिषद् ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी जिन्हें कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष पालन के लिये आवश्यक समझे और कर्मचारियों की संख्या तथा उनके प्रवर्ग और उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाय.

## छठवां अध्याय—रजिस्ट्रीकरण

होमियोपैथी का राज्य रजिस्टर.

२१. (१) परिषद् होमियोपैथी के व्यवसायियों का एक रजिस्टर, जो होमियोपैथी के राज्य रजिस्टर के नाम से ज्ञात होगा, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुये, जो कि विहित की जाय, विहित रीति में, रखवायेगी.

(२) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तथा परिषद् द्वारा दिये गये किसी भी आदेश के उपबन्धों के अनुसार राज्य रजिस्टर को बनाये रखे और समय-समय पर उस रजिस्टर को पुनरीक्षित करे तथा उसे राजपत्र में एवं ऐसी अन्य रीति में प्रकाशित करे जैसी कि विहित की जाय.

(३) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ सन् १८७२) के अर्थ के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जायगा और राजपत्र में प्रकाशित की गई प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जा सकेगा.

रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार व्यक्ति.

२२. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुसूची में वर्णित मान्य अर्हता रखता हो, किसी भी समय रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करने पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो कि विहित की जाय, अपना नाम रजिस्टर में प्रविष्ट करवाने का हकदार होगा.

(२) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, जो निरसित एक्ट के अधीन तैयार किये गये रजिस्टर में १५ सितम्बर, सन् १९७५ के ठीक पूर्ववर्ती दिन को दर्ज था, इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर में, ऐसे व्यक्ति से आवेदन करने की या किसी फीस का संदाय करने की अपेक्षा किये बिना ही, प्रविष्ट किया जायेगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति ऐसी फीस का संदाय ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, १५ सितम्बर, सन् १९७५ से दो वर्ष की कालावधि के भीतर करेगा और ऐसा करने में उसके द्वारा चूक करने पर उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जायगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में, ऐसी और कालावधि के भीतर आवेदन करने पर तथा ऐसी अतिरिक्त फीस का संदाय करने पर, जैसा कि विहित किया जाय, रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जायगा :

परन्तु यह और भी कि पुनः प्रविष्ट के लिये कोई भी आवेदन, पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायगा, किन्तु इससे आवेदक के इस धारा के अधीन नवीन रूप से रजिस्ट्रीकरण कराने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

(३) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में दिया जायगा. ऐसे प्रमाणपत्र के खो जाने, विरूपित हो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, उसकी दूसरी प्रति दस रुपये फीस का संदाय करने पर जारी की जायगी और इस प्रकार जारी किये गये प्रमाणपत्र पर "दूसरी प्रति" अंकित किया जायगा.

**रजिस्टर में अतिरिक्त अर्हता की प्रविष्टि.**

२३. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य रजिस्टर में दर्ज किया जा चुका हो, होमियोपैथी में कोई पदवी, उपाधि, उपाधि-पत्र या अन्य अर्हता अभिप्राप्त कर ले, तो वह इस संबंध में आवेदन करने पर तथा पांच रुपये फीस का संदाय करने पर, रजिस्टर में अपने नाम के सामने, या तो पूर्व में की गई किसी प्रविष्टि के स्थान पर या उसके अतिरिक्त, ऐसी प्रविष्टि कराने का हकदार होगा जिसमें ऐसी अन्य पदवी, उपाधि, उपाधि-पत्र या अन्य अर्हता कथित की जायगी.

**चिकित्सीय व्यवसाय के लिये अस्थायी रजिस्ट्रीकरण.**

२४. उस व्यक्ति का, जिसने अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, उसके द्वारा इस संबंध में आवेदन करने पर, रजिस्टर में अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जायगा जिससे कि वह,---

(क) उस दशा में जब कि मान्य अर्हता अभिप्राप्त करने के लिये पाठ्यक्रम में, उसको ऐसी अर्हता प्रदान की जाने के पूर्व, प्रशिक्षण प्राप्त करने की कोई कालावधि सम्मिलित हो, तो किसी अनुमोदित संस्था में चिकित्सा का व्यवसाय कर सके;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिषद् द्वारा किये जाने वाले दीक्षांत-समारोह में उसे मान्य अर्हता प्रदान की जाने तक चिकित्सा का व्यवसाय कर सके.

**रजिस्टर से नाम का हटाया जाना.**

२५. (१) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, ऐसी सम्यक् जांच के पश्चात्, जो कि परिषद् द्वारा विहित रीति में की गई हो, किसी अवचार का दोषी पाया जाय तो परिषद्,---

(क) ऐसे व्यवसायी को संबोधित करते हुए चेतावनी का पत्र जारी कर सकेगी; या

(ख) यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम,---

(एक) रजिस्टर से ऐसी कालावधि के लिये हटा दिया जाय जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, या

(दो) रजिस्टर से स्थायी रूप से हटा दिया जाय.

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजन के लिये अवचार से अभिप्रेत है---

(एक) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाना जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो और जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (क्रमांक २ सन् १९७४) के अर्थ के अन्तर्गत संज्ञेय हो;

(दो) किसी वृत्ति के संबंध में गर्हित आचरण अर्थात् वह वृत्तिक अवचार जो होमियोपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ५९ सन् १९७३) की धारा २४ की उपधारा (२) के अधीन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है.

(२) परिषद्, पर्याप्त हेतुक दर्शाये जाने पर, किसी भी समय वह निदेश दे सकेगी कि इस प्रकार से हटाया गया व्यवसायी का नाम, ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी अतिरिक्त फीस का सदाय करने पर, जो कि परिषद् अधिरोपित करे, रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जाय.

(३) परिषद् स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सम्यक् तथा उचित जांच करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्टर में की किसी भी प्रविष्टि को रद्द कर सकेगी या उसमें परिवर्तन कर सकेगी, यदि परिषद् की यह राय हो कि ऐसी प्रविष्टि कपटपूर्वक या गलती से की गई थी.

(४) परिषद्, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सम्यक् और उचित जांच करने के पश्चात्, रजिस्टर से किसी भी व्यवसायी का नाम हटा सकेगी, यदि.—

(क) उसकी मृत्यु हो गई हो;

(ख) उसने व्यवसाय करना छोड़ दिया हो;

(ग) उसने, इस कारण से कि वह होमियोपैथी से भिन्न किसी चिकित्सा-पद्धति का व्यवसायी है, होमियोपैथी का व्यवसाय करना छोड़ दिया हो.

(५) इस धारा के अधीन जांच करने में, यथास्थिति परिषद् या परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ सन् १८७२) के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझी जायगी तथा वह लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (क्रमांक ३७ सन् १८५०) के अधीन नियुक्त किये गये आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांचें, जहां तक संभव हो, लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (क्रमांक ३७ सन् १८५०) की धारा ३, ५ तथा ८ से २० तक के उपबंधों के अनुसार संचालित की जायगी.

राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट किये गये नामों का प्रकाशन.

२९. (१) रजिस्ट्रार, प्रतिवर्ष और समय-समय पर, जैसा कि अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, परिषद् द्वारा इस संबंध में नियत की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट किये गये नामों की पूर्ण या अनुपूरक सूची, राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि परिषद् उपबंधित करे, प्रकाशित करवायेगा तथा उसमें:—

(क) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका कि नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, रजिस्ट्रांकित पता और इसके द्वारा धारित पद या उसका वास्तविक नियोजन दिया जायेगा; और

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रांकित पदवियां, उपाधियां, उपाधि-पत्र तथा अन्य अर्हताएं और वह तारीख दी जायेगी जिसको कि ऐसी प्रत्येक पदवी, उपाधि या उपाधि-पत्र दिया गया हो या ऐसी अर्हता प्रमाणित की गई हो :

परन्तु रजिस्ट्रार उन रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के नाम समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा जिनके कि नाम इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन, रजिस्टर में से सम्यक् रूप से हटा दिये गये हों.

(२) किसी भी कार्यवाही में यह उपधारणा की जायगी कि ऐसी सूची में प्रविष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है और कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो इस प्रकार सूची में प्रविष्ट न किया गया हो, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी नहीं है :

परन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसका कि नाम, सूची के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात्, रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो, रजिस्टर में ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतिलिपि इस बात की साक्ष्य होगी कि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है. ऐसा प्रमाण-पत्र मुफ्त जारी किया जायगा.

## सातवां अध्याय—रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के विशेषाधिकार

**रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार.**

२७. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते भी,—

(१) मध्यप्रदेश विधान मंडल के समस्त अधिनियमों में और मध्यप्रदेश में लागू हुए रूप में समस्त केंद्रीय अधिनियमों में, जहां तक कि ऐसे अधिनियम भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ या सूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये विषयों में से किसी भी विषय से संबंधित हों, अभिव्यक्ति "वैधरूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" या "सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी' के अन्तर्गत या किसी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति, जिससे इस अर्थ का द्योतन होता हो कि कोई व्यक्ति चिकित्सा व्यवसायी के रूप में या चिकित्सा वृत्ति के सदस्य के रूप में विधि द्वारा मान्य है, के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी आयेगा;

(२) कोई भी प्रमाण-पत्र, जो किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्स् अधिकारी से किसी अधिनियम या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित हो,

उस दशा में विधि मान्य होगा जब कि ऐसा प्रमाण-पत्र किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा दिया गया हो;

(३) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, किसी भी ऐसे होमियोपैथी औषधालय। चिकित्सालय, पागलखाने, रुग्णालय या प्रसवालय में, जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित हो या उससे अनुदान प्राप्त कर रहा हो, या किसी ऐसी लोक या प्राइवेट स्थापना, निकाय या संस्था में, जिसमें ऐसी चिकित्सा पद्धति व्यवहृत होती हो, किसी वृतिक पद, उसका पदनाम चाहे जो भी हो, धारण करने के लिये पात्र होगा,

(४) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, इस बात का हकदार होगा कि वह राज्य के भीतर चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करे और ऐसे व्यवसाय के संबंध में, औषधियों या अन्य साधित्रों